फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**श्री शेषमल** विपक्षी :–**श्री वरदीचन्द**

किस्म मुकदमा :– 53, 188 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :– 89/20

जीसीएमएस नम्बर :–2020/00190

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 04.06.2026 पत्रावली अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी द्वारा तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पेश कर वाद विड्रो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पढ़कर सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादी की पहचान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई। चूंकि अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	